अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

फा.सं.1-4/2025-हिं.अ. दिनांक: 27.02.2025

पृष्ठांकन

विषय: सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद संबंधी।

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दिनांक 17 फरवरी, 2025 के पत्र सं.13015/02/2021-हिंदी द्वारा प्रेषित संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से प्राप्त 19 नवम्बर, 2024 के पत्र सं.11011/12/2024-रा.भा. (अनु.) की एक प्रति संस्थान के बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय एवं सभी केन्द्रों को सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु, एतद्द्वारा, पृष्ठांकित की जाती है (प्रति संलग्न)।

इसके अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद हेतु निर्धारित कुल अनुदान राशि का कम से कम 50% हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय किया जाना अपेक्षित है।

इसे वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया के अनुमोदन से आवश्यक अनुपालन हेतु जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि।

(पदम सिंह)
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी

वितरण:-

1. प्रभारी अधिकारी, बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय।
2. सभी केन्द्रों के वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी/प्रशासन अधिकारी/सहायक प्रशासन अधिकारी।

प्रतिलिपि:

1. निदेशक/संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा) महोदय के प्रधान निजी सचिव।
2. चिकित्सा अधीक्षक/अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव।
3. वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
4. मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
5. संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.
6. प्रभारी-संकाय (कंप्यूटर सुविधा)- कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

ई-13015/02/2021-हिंदी
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
(राजभाषा प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 17 फरवरी, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 19.11.2024 के पत्र सं. 11011/12/2024-रा.भा. (अनु.) (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ लें। इसके अनुसार, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद हेतु निर्धारित कुल अनुदान राशि का कम से कम 50% हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय किया जाना अपेक्षित है।

2. संदर्भित पत्र में हिंदी पुस्तकों की खरीद के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया है जिन्हें ध्यान में रखा जाना है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बिनोद कुमार)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

सेवा में,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को दिनांक 19.11.2024 के पत्र सं. 11011/12/2024-रा.भा. (अनु.) के संदर्भ में।

3964096

सं.11011/12/2024-रा.भा.(अनु.)
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-।। भवन, बी विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांकः 19 नवंबर, 2024

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद।

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 05 मार्च, 1990 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20034/6/90-रा.भा. (पत्रिका) की ओर पुन: ध्यान आकर्षित किया जाता है (प्रति संलग्न)। उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुपूरक के रूप में पुस्तक खरीद हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाते हैं :-

(I) केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/बैंकों, उपक्रमों आदि में पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों (जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर) की खरीद हेतु निर्धारित कुल अनुदान राशि का कम से कम 50 % हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय किया जाना अपेक्षित है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रमों में भी यह लक्ष्य स्पष्ट किया गया है।

(II) निम्न प्रकार की पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं:-

(i) हिंदी में काम करने के लिए सन्दर्भ ग्रन्थ जैसे शब्दकोश, शब्दावली, विभाग/कार्यालय के काम से संबंधित विषयों पर हिंदी में पुस्तकें।

(ii) मंत्रालयों/विभागों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यालयों में जहां वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकार की हिंदी में पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, वे

JD (OL)

निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए हिंदी की शब्दावलियों/कार्यालय सहायिकाओं/ संदर्भ ग्रंथों को खरीदें।

(iii) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही मौलिक पुस्तक लेखन योजनाओं के अन्तर्गत पुरस्कुत और प्रकाशित पुस्तकें।

(iv) इसके अलावा, राजभाषा विभाग के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 में उल्लिखित हिंदी शास्त्रीय साहित्य की किताबें।

(v) भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा हिंदी में प्रकाशित किताबें।

(vi) राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराई गई किताबों की सूची से।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन करें तथा अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व/नियंत्रणाधीन कम्पनियों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैकों आदि के ध्यान में ला दें और इनके सुनिश्चित अनुपालन के लिए निदेश दें। इस संबंध में दिए अनुदेशों की एक प्रतिलिपि कृपया इस विभाग को सूचनार्थ भेजने की व्यवस्था करें।

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रति:

<u>**भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन)/राजभाषा प्रभारी।**</u>